संख्या-197/2018/1051/तेइस-14-2018-23(जनरल)/2018

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 14 सितम्बर, 2018**

विषय- त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद वाराणसी में भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राजमार्ग37.80 कि0मी0 02 लेन से 04 लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-419/9सी, दिनांक 20.03.2018 एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-222बी.जी.जी./209बी0(02)/2018-19, दिनांक 29.06.2018 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-142/2018/827/तेइस-14-2018, दिनांक 29.06.2018, शासनादेश संख्या-143/2018/827/तेइस-14-2018, दिनांक 29.06.2018 एवं शासनादेश संख्या-144/2018/827/तेइस-14-2018, दिनांक 29.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद वाराणसी में भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राजमार्ग37.80 कि0मी0 02 लेन से 04 लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु क्रमश: धनराशि रू0 1,00,00,000.00, रूपये 3,18,50,829.00 एवं रू0 2,28,92,200.00 कुल रू0 6,47,43,029.00 (रूपये छ: करोड़ सैतालिस लाख तिरालिस हजार उनतिस मात्र) अवमुक्त की गयी। मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-407बी.जी.जी./209बी0(02)/2018-19, दिनांक 10.09.2018 [redacted]श्नगत मार्ग में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु बी0एम0-15 उपलब्ध कराते [redacted]0.00 करोड़ की मांग शासन से की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में नियोजन विभाग द्वारा संचालित त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद वाराणसी में भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राजमार्ग 37.80 कि0मी0 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रारम्भ करते हुए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। उक्त परियोजना हेतु निर्धारित लागत की कुल धनराशि रू0 17808.98 लाख, जिसमें भूमि अध्याप्ति के मुआवजे की धनराशि सम्मिलित नहीं था, नियोजन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है। नियोजन विभाग में लिए गये उच्च स्तरीय निर्णय के अनुसार प्रश्नगत परियोजना में निहित भूमि अधिग्रहण के

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

मुआवजे का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

3- जनपद वाराणसी में भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राजमार्ग 37.80 कि0मी0 02 लेन से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-12893/2018 (अशोक कुमार दुबे बनाम सचिव नियोजन विभाग) एवं अन्य रिट याचिकायें योजित की गयी है, जिसमें प्रतिकर का भुगतान किए जाने/भुगतान हेतु समय सीमा बताये जाने के आदेश प्राप्त हुए है।

4- उपरोक्त वर्णिति स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान के माध्यम से जनपद वाराणसी में भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राजमार्ग 37.80 कि0मी0 के 02 लेन से 04 लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 225.00 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था के सापेक्ष निर्धारित प्रतिकर में से धनराशि रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

5- उक्त व्यय प्रश्नगत कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से की गयी अतिरिक्त व्यवथा के अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण् कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1330-प्रदेश के कतिपय मार्गो हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व इस सम्बन्ध में बजट व्यवस्था एवं बजट की उपलब्धता का ध्यान रखा जायेगा। किसी भी स्थिति में उपलब्ध बजट से अधिक धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

7- उक्त का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(5) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-2689/दस-18, दिनांक 14.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-197/2018/1051/23-14-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- अपर महाधिवक्ता (श्री एम0सी0 चतुर्वेदी), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- अपर मुख्य स्थाई अिधवक्ता (श्री सुरेश सिंह), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7- जिलाधिकारी, वाराणसी।
8- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी ।
11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-2/10
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
14- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in